रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 921] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 13, 2017/कार्तिक 22, 1939
No. 921] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 13, 2017/KARTIKA 22, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2017

सा.का.नि.1383(अ).—राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, का निम्नलिखित प्रारूप, उन सभी व्यक्तियों की, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों उप-महानिदेशक नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, अंत्योदया भवन, सीजीओ कॉमप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल tr.mohanty@gov.in. द्वारा भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 में,-

   (i) नियम 3 के उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

(2) न्यास अधिनियम की धारा 12 के तहत इसके पास पंजीकृत संगठनों में से बोर्ड की अवधि की समाप्ति से तीन माह पूर्व अधिनियम की धारा 3(4)(ख) की आवश्यकता अनुसार बोर्ड के नौ सदस्यों के लिए नामांकन आमंत्रित करते हुए रिक्तियां अधिसूचित करेगा।

(ii) नियम 3 के उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

2(क) न्यास अधिनियम की धारा 3(4)(घ) की अपेक्षानुसार तीन सदस्यों के लिए परोपकारी क्रियाकलापों में लगे हुए व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के संगमों से भी नामांकन आमंत्रित करेगा ।

2(ख) न्यास अपेक्षित अर्हता, नि:शक्तता सम्बन्धी विषयों में अपेक्षित अनुभव, आवेदनों/नामांकनों की प्राप्ति के लिए न्यूनतम पैंतालीस दिन प्रदान करने के विनियमों के अधीन यथा विहित पैंसठ वर्ष की ऊपरी आयुसीमा को उल्लिखित करते हुए, बोर्ड के सदस्यों की रिक्तियों को अधिसूचित करेगा ।

2(ग) सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आवेदनों/नामांकनों के प्राप्त हो जाने पर, आवेदनों की संवीक्षा करने के लिए बोर्ड के पदेन सदस्यों में से तीन पदाधिकारियों की एक संवीक्षा समिति गठित करेगा ।

2(घ) संवीक्षा समिति आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प के प्रवर्ग के आधार पर राज्यवार और क्षेत्रवार पात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा :

परंतु संवीक्षा समिति पात्र आवेदकों की सूची तैयार करते समय, क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि वह आवेदक या नामनिर्देशिती व्यापक चयन की कीमत पर एकाधिकार नहीं अपनाते हैं, के सम्बन्ध में सम्यक् विचार करेगा ।

2(ङ) न्यास बोर्ड ऐसे निर्वाचित सदस्यों को, जिन्होंने नए आवेदकों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक पूर्ण अवधि के लिए कार्य किया है, सुग्राही बनायेगा ।

(iii) नियम 3 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(4) जहां पात्र आवेदकों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है, वहां निर्वाचन राष्ट्रीय न्यास नियम, 2000 के नियम (3) के अनुसार किया जाएगा ।

(iv) नियम 3 के उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(6) अधिनियम की धारा 3(4)(घ) के अधीन प्राप्त नामांकनों के मामलों में, बोर्ड दिव्यांगता सेक्टर में तीन नामनिर्देशितियों का, उनके अनुभव के आधार पर और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में उनके परोपकारी कार्य को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन करेगा ।

(7) निर्वाचन से सम्बन्धित विषय पर कोई विवाद परिणाम की घोषणा के तीस दिन के भीतर उठाया जा सकेगा और ऐसा विवाद सचिव, सशक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समक्ष न्याय-निर्णयन के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, उस पर जिसका विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा ।

(8) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे बोर्ड में एक बार नामनिर्दिष्ट किया गया है, पुनः नाम निर्दिष्ट किए जाने के हकदार नहीं होगा ।

(v) नियम 4 के शीर्षक में "और सदस्य" शब्दों को हटाया जाएगा ।

(vi) नियम 5 के उप-नियम (2) में, बैठक शब्द के पश्चात्, "बोर्ड की बैठक के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये की बैठक फीस" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर न्यास द्वारा यथा अवधारित फीस" शब्द रखे जाएंगे ।

(vii) नियम 6 का उप-नियम (3) हटाया जाएगा ।

(viii) नियम 10 के उप-नियम (1) में, "सदस्यों" शब्द के पश्चात्, "बोर्ड का" अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

(ix) नियम 16 के उप-नियम (1) में, "प्ररूप क" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर न्यास द्वारा यथाविहित रूप विधान" शब्द रखे जाएंगे ।

(x) नियम 16 के उप-नियम (2) में, "प्ररूप ख" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर न्यास द्वारा यथाविहित रूप विधान" शब्द रखे जाएंगे ।

(xi) नियम 17 के उप-नियम (1) की मद (vi) के खंड (क) में, "लम्बे" शब्द के स्थान पर "अयुक्तियुक्त" शब्द रखा जाएगा ।

(xii) नियम 17 के उप-नियम (2) की मद (vi) के खंड (ङ) में, "लम्बे" शब्द के स्थान पर "अयुक्तियुक्त" शब्द रखा जाएगा ।

(xiii) नियम 21 के उप-नियम (6) के मद (ix) में, "सोसाइटी को" शब्द प्रतिस्थापित की जाएगी ।

(xiv) नियम 27 के उप-नियम (1) में "प्ररूप ग" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर न्यास द्वारा यथाविहित रूप विधान" शब्द रखे जाएंगे ।

(xv) नियम 27 के उप-नियम (2) में "प्ररूप घ" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर न्यास द्वारा यथाविहित रूप विधान" शब्द रखे जाएंगे ।

(xvi) नियम 27 के उप-नियम (2) में "प्ररूप ङ" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर न्यास द्वारा यथाविहित रूप विधान" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 26-18/2015-डीडी-III]

तुषार रंजन मोहांती, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2017

G.S.R. 1383(E).—The following draft of certain rules further to amend the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, which the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 34 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Deputy Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, AntyodayaBhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 or by email at tr.mohanty@gov.in.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000,—

   (i) sub-rule (2) of rule 3 shall be substituted by the following, namely.—

   (2) The Trust shall notify vacancies inviting nominations for nine members of the Board as required by Section 3(4) (b) of the Act three months prior to the expiry of the term of the Board from amongst the organizations registered with it under section 12 of the Act.

   (ii) After sub-rule (2) of rule 3, the following shall be inserted, namely,—

2(A) The Trust shall also invite nominations from associations of trade, commerce and industry engaged in philanthropic activities for three members as required by Section 3(4)(d) of the Act.

2(B) The Trust shall notify the vacancies of the Members of the Board highlighting the requisite qualification, experience required in disability matters, upper age limit of 65 years as prescribed under the regulations of the giving a minimum of 45 days for receipt of applications/nominations.

2(C) On receipt of the applications/nominations the Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities shall constitute a Scrutiny Committee of three officials from ex-officio members of the Board to scrutinize the applications.

2(D) The Scrutiny Committee shall draw a list of eligible applicants State-wise and region-wise based on the category opted by the applicant:

Provided that the Scrutiny Committee while drawing up the list of eligible applicants shall give due consideration for ensuring wider representation to the organizations working in the fields and also to ensure that the same applicant or nominee does not monopolise at the cost of wider choice.

2(E) The Trust shall sensitize the elected member of the Board who have served for one complete term to give way to new applicants.

(iii) For sub-rule (4) of rule 3, the following shall be substituted, namely.—

(4) where the number of eligible applicants is more than the number of vacancies, election shall be held in accordance with Rule 3 of the NT Rules 2000.

(iv) After sub-rule (5) of rule 3, the following shall be inserted, namely.—

(6) In the case of nominations received under Section 3 (4) (d) of the Act, the Board shall approve three nominees based on their experience in disability sector and taking into account their philanthropic work in pursuance to corporate social responsibility.

(7) Any dispute on matter relating to election may be raised within 30 days of the declaration of the result and such dispute shall be referred for adjudicationbefore the Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice, Government of India, whose decision thereon shall be final and binding.

(8) No person who has been nominated once to the Board shall be entitled to be re-nominated.

(v) In the title of rule 4, the words “and members” shall be deleted.

(vi) In sub-rule (2) of rule 5, after the word sitting, the words “fee of rupees five hundred for each day of the meeting of the Board” shall be substituted by the words “fees as determined by the Trust from time to time.”

(vii) Sub-rule (3) of rule 6 shall be deleted.

(viii) In sub-rule (1) of rule 10, after the word “Members”, the words “of the Board” shall be inserted.

(ix) In sub-rule (1) of rule 16, for the words “Form A”, the words “format as prescribed by the Trust from time to time” shall be substituted.

(x) In sub-rule (2) of rule 16, for the words “Form B”, the words “format as prescribed by the Trust from time to time” shall be substituted.

(xi) In clause (a) of item (vi) of sub-rule (1) of rule 17, for the word “longer”, the word “unreasonable” shall be substituted.

(xii) In clause (e) of item (vi) of sub-rule (1) of rule 17, for the word "long", the word "unreasonable" shall be substituted.

(xiii) In item (ix) of sub-rule (6) of rule 21, the words "to the society" shall be substituted

(xiv) In sub-rule (1) of rule 27, for the words "Form C", the words "format as prescribed by the Trust from time to time" shall be substituted.

(xv) In sub-rule (2) of rule 27, for the words "Form D", the words "format as prescribed by the Trust from time to time" shall be substituted.

(xvi) In sub-rule (3) of rule 27, for the words "Form E", the words "format as prescribed by the Trust from time to time" shall be substituted."

[F. No. 26-18/2015-DD-III]

TUSHAR RANJAN MOHANTY, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.16 15:59:14 +05'30'